न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 17/2023

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही
2. केसरसिंह पुत्र मनरुपसिंह जी, जाति–राजपूत, निवासी–कालन्द्री, तहसील– सिरोही
3. हीरसिंह पुत्र मनरुपसिंह जी, जाति–राजपूत, निवासी– कालन्द्री, तहसील– सिरोही

"निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

1. श्री हरिराम, सहायक विकास अधिकारी, जिला परिषद्, सिरोही
2. अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश दहिया, अप्रार्थी संख्या–2 व 3 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 31 दिसम्बर, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही द्वारा यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 क्रमशः केसरसिंह पुत्र मनरुपसिंह व हीरसिंह पुत्र मनरुपसिंह जी रावणा राजपूत, निवासी–कालन्द्री के पक्ष में पारित प्रस्ताव संख्या 11(7) दिनांक 02.12.1967 एवं इस प्रस्ताव के अनुसरण में क्षेत्रफल 3750 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा दिनांक 13.10.1968 (जिस पर मिसल संख्या 4 दिनांक 03.9.1967 अंकित है) को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही का निगरानी आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश दहिया उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–1 (एक) को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये।

(3) प्रकरण में दिनांक 18.12.2024 को बहस सुनी गई। श्री हरिराम, सहायक विकास अधिकारी, जिला परिषद्, सिरोही ने प्रार्थी के निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा अप्रार्थी केसरसिंह पुत्र मनरुपसिंह व हीरसिंह पुत्र मनरुपसिंह जी, निवासी– कालन्द्री के पक्ष में जो पट्टा विलेख दिनांक 13.10.1968 को जारी किया गया है, वह ग्राम कालन्द्री के खसरा संख्या 2024 किस्म गै.मु. तालाब की भूमि में जारी किया गया है। ग्राम पंचायत को आबादी से भिन्न किस्म की भूमि का पट्टा विलेख जारी करने की अधिकारिता नही है। ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा अप्रार्थी केसरसिंह पुत्र मनरुपसिंह व हीरसिंह पुत्र मनरुपसिंह जी के पक्ष में जारी पट्टा विलेख की भूमि विभन्न स्तरों पर हुई जांच में इस पट्टे की भूमि गै.मु. तालाब में होना पाया गया है। ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा तालाब की भूमि का पट्टा जारी किया गया है, जो नियम विरुद्ध है। अतः प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में पारित प्रस्ताव संख्या 11(7) दिनांक 02.12.1967 एवं इस प्रस्ताव के अनुसरण में जारी पट्टा विलेख दिनांक 13.10.1968 (जिस पर मिसल संख्या 4 दायर तारीख्वा 03.9.1967 अंकित है) को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के विद्वान अधिवक्ता

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला * सिरोही *

श्री ओमप्रकाश दहिया ने अप्रार्थीगण के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा अप्रार्थी केसरसिंह पुत्र मनरुपसिंह व हीरसिंह पुत्र मनरुपसिंह जी, जाति–राजपूत, निवासी– कालन्द्री के पक्ष में उसके पुराने पुश्तैनी गृह के आधार पर राजस्थान पंचायती राज नियमों के अन्तर्गत पट्टा जारी किया है। उक्त भूमि ग्राम पंचायत के स्वामित्व की आबादी भूमि है तथा मौके पर सघन आबादी क्षेत्र है, जबकि पट्टा जारी किये जाने से पूर्व तीन वार्ड पंचों की मौका कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण कर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का मकान आबादी भूमि में होने से नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। उक्त भूमि पर अन्य लोगों के मकानात भी आज से करीब 70–80 वर्ष पूर्व निर्बाध रुप से मौजूद थे, इस आधार पर ही ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। पट्टा जारी किये हुये इतने वर्ष व्यतीत हो गये है व मौके पर आवासीय मकान व पुराना कब्जा लगातार चला आ रहा है, लेकिन इतने वर्षो के बाद उक्त भूमि को तालाब भूमि होना बताकर गलत कथनों के आधार पर प्रार्थी ने यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो कानूनन परिपोषणीय नही है। अतः प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा अप्रार्थी केसरसिंह पुत्र मनरुपसिंह जी व हीरसिंह पुत्र मनरुपसिंह जी, जाति–रावणा राजपूत, निवासी– कालन्द्री के पक्ष में राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के तहत क्षेत्रफल 3750 वर्गफीट भूमि का पट्टा दिनांक 13.10.1968 को जारी किया गया है, जो ग्राम पंचायत, कालन्द्री के प्रस्ताव संख्या 11(7) दिनांक 02.12.1967 के अनुसरण में जारी किया जाना पट्टे पर अंकित किया हुआ है एवं पट्टे पर मिसल संख्या 4 तारीख दायर 03.9.1967 अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध जांच प्रतिवेदनों का अवलोकन करने से यह भी पाया गया कि ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा अप्रार्थी केसरसिंह पुत्र मनरुपसिंह जी व हीरसिंह पुत्र मनरुपसिंह जी के पक्ष में जो पट्टा दिनांक 13.10.1968 को जारी किया गया है वह ग्राम कालन्द्री के खसरा संख्या 2024 किस्म गै.मु. तालाब भूमि में जारी किया गया है। राजस्व रेकर्ड के अनुसार ग्राम कालन्द्री के खसरा संख्या 2024 रकबा 4.1300 हेक्टेयर किस्म गै.मु. तालाब भूमि दर्ज है एवं इस खसरा संख्या 2024 के आंशिक भाग पर कुछ कच्चे व पक्के आवासीय मकान बने हुये हैं। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध जांच प्रतिवेदनों के अनुसार ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा अप्रार्थी केसरसिंह पुत्र मनरुपसिंह जी व हीरसिंह पुत्र मनरुपसिंह जी के पक्ष में ग्राम कालन्द्री के खसरा संख्या 2024 किस्म गै.मु. तालाब भूमि में पट्टा जारी किया गया है, जबकि तालाब की भूमि में पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नही है। तालाब की भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है, जिसका पट्टा कानूनन जारी नही किया जा सकता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी, अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 (केसरसिंह, हीरसिंह पुत्र मनरुपसिंह जी, निवासी– कालन्द्री) के पक्ष में पारित प्रस्ताव संख्या 11(7) दिनांक 02.12.1967 एवं इस प्रस्ताव के अनुसरण में जारी पट्टा दिनांक 13.10.1968 (जिस पर मिसल संख्या 4 दायर तारीख 03.9.1967 अंकित है) को निरस्त किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)